

कार्यालय : जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ ।

:: प्रपत्र - 02 ::

पत्रांक 65

प्रेषक :

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी
निःशूल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम
-सह- सचिव, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, सरायकेला-खरसावाँ ।

प्रबंधक / अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य
GAYTRI SHIKSHA NIKETAN ADITYAPUR
सरायकेला-खरसावाँ

विषय :

सरायकेला, दिनांक 20-01-2021

निःशूल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए ज्ञारखण्ड निःशूल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ज्ञारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक 629 दिनांक 25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निजी विद्यालय के मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा दिनांक 10.12.2020 को आहूत बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत समिति के द्वारा आपके विद्यालय गायत्री शिक्षा निकेतन आदित्यपुर, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा-01 से 08 तक के लिए विभागीय शर्तों के अनुसार औपबंधिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है । आपके विद्यालय को छःह माह के अन्दर सभी विभागीय शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-



- (1) इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बद्धन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है ।
- (2) विद्यालय निःशूल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं ज्ञारखण्ड निःशूल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के उपबंधो तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 1291 दिनांक 11.05.2011 एवं यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाय ।
- (3) विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आसपास कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशूल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुर्ण होने तक उपलब्ध कराएगा ।

Principal
Gayatri Shiksha Niketan
Adityapur

- (4) उक्त केंडिका-३ में उल्लेखित बालकों के लिए विधालय की अधिनियम धारा 12 की उपधारा (2)के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विधालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
- (5) विधालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावकों से कोई कैपिटेशन शूल्क नहीं लेगा और विधालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
- (6) विधालय किसी बालक का आयू का सबुत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
- (7) विधालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सूनिश्चित करेगें।
- (क) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विधालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्तीण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा।
- (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से काई बोर्ड परीक्षा उर्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- (च) संबंधित विधालय अपने पास-पडोस के 01 से 05 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत बालकों का आर०टी०ई०के अंतर्गत 25 प्रतिशत नामांकन सहित अपने विधालय में नामांकन सूनिश्चित करेगा।
- (छ) विधालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार जो मुख्य अथवा सहायक पथ पर पड़ते हैं उसे आम आवागमन के लिए बाधित नहीं किए जाने की जबाबदेही लेंगे तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगे।
- (ज) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित अहर्ताएँ के अनुसर किया जाएगा तथा उनके पास उनके निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम 2009 के लागू की जाएगी।
- (झ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ट) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- RTE के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी विधालयों को इस नियमावली के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर पुनः निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विधालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
9. विधालय जॉच हेतु अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित न्यूनत सूचना अक्षुण्ण रखेगा।
10. विधालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं

11. विधालय मरनो या अन्य संरचनाओं वा कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।
 12. विधालय को किसी व्यक्ति के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए नहीं चलाया जायेगा ।
 13. विधालय के लेखाओं की किसी चार्टर अंकाउन्टर द्वारा अंकेक्षण किया जाना चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजना होगा ।
 14. विधालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने की लिए जारी किए जाये ।
 15. विधालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा । सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जायेगा ।
 16. विधालय के बच्चों के निःशूल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 झारखंड के बच्चों के निःशूल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 एवं विधालय को विभागीय अधिसूचना संख्या-629 दिनांक 25.04.2019 में अंकित प्रावधानो एवं शर्तों को लागू करना होगा ।
 17. विधालय को एवं उससे संबंधित परिस्थिति का सही सही विवरण उपलब्ध कराने /अभिलेख संधारण उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्रय /हस्तांतरण/प्राप्ति की पूरी पूरी जबाबदेही संबंधित विधालय एवं उसके सोसाईटी की है एवं होगी । अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद / वाद / माननीय न्यायालय वाद / अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग / सरकार / जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई जबाबदेही नहीं होगी । इसकी पूरी-पूरी जबाबदेही संबंधित विधालय के प्रबंध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी ।
- आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक - SKL/PVT/UND/012/2021 है । कृपया इसे नोट कर लें एवं इस कार्यालय के साथ भविष्य में किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाय ।


Principal
Gayatri Shiksha Niketan
Adityapur


जिला शिक्षा अधीक्षक
सरायकेला-खरसावाँ ।

20.01.2021